R.No. MAHHIN/2004/14131
Regd. No. MH/MR/South-29/2012-14

मासिक शुल्क : ₹ 1 मात्र

खण्ड IX ◆ अंक 5
नवंबर 2012

मोनेटरी एण्ड क्रेडिट इन्फ़र्मेशन रिव्यू

नीति

प्रशासनिक / नियंत्रण कार्यालय खोलना

बैंकों की परिचालनात्मक स्वतंत्रता को और अधिक बढ़ाने के उद्देश्य से घरेलू अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) को अब रिपोर्टिंग की शर्त पर प्रत्येक मामले में रिज़र्व बैंक से पूर्व अनुमति प्राप्त किए बिना टीयर 1 केंद्रों में पूर्णतया प्रशासनिक और नियंत्रण का कार्य (क्षेत्रीय कार्यालय / आँचलिक कार्यालय) करने के लिए कार्यालय खोलने की अनुमति दी गई है।

तथापि, यह आम अनुमति संबंधित बैंक के संबंध में विनियामक / पर्यवेक्षी कार्य के अधीन होगी और रिज़र्व बैंक के पास भी संबंधित कारकों को ध्यान में रखते हुए मामला-दर-मामला आधार पर अब दी गई आम अनुमति को वापस लेने का विकल्प होगा।

टीयर I केंद्रों (2001 की जनगणना के आधार पर 100,000 और उससे अधिक की जनसंख्या वाले केंद्र) में घरेलू अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोडकर) द्वारा केंद्रीय प्रोसेसिंग केंद्रों (सीपीसी) / सेवा शाखाओं सहित शाखाएं खोलने के लिए रिज़र्व बैंक का पूर्व अनुमोदन प्राप्त करना जारी रहेगा।

बैंकों को आम अनुमति के अंतर्गत खोले गए प्रशासनिक कार्यालयों की विस्तृत जानकारी रिज़र्व बैंक को देनी होगी।

पट्टा/किराएदारी आधार पर लिए गए आवास का अधिग्रहण

रिज़र्व बैंक ने यह दुहराया है कि बैंकों को महानगरी, शहरी, अर्ध-शहरी और ग्रामीण इलाकों से संबंधित परिसरों को पट्टा / किराएदारी आधार पर लेने के लिए अपने निदेशक बोर्ड द्वारा तैयार की गई नीतियों और परिचालनगत दिशानिर्देशों का कड़ाई से पालन करना चाहिए। शाखा खोलने के लिए परिसर का अधिग्रहण करते समय बैंकों को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि शाखा की भौगोलिक स्थिति महानगरपालिका / नगरपालिका / शहर क्षेत्र प्राधिकारी / ग्राम पंचायत अथवा अन्य कोई सक्षम प्राधिकारी के स्थानीय मानदण्डों / कानूनों का पालन करती है।

इन्फ्रास्ट्रक्चर ऋण की परिभाषा

यह निर्णय लिया गया है कि बैंकों और वित्तीय संस्थाओं द्वारा इन्फ्रास्ट्रक्चर के वित्तपोषण के प्रयोजन के लिए 'इन्फ्रास्ट्रक्चर ऋण' की परिभाषा को 27 मार्च 2012 को भारत सरकार द्वारा अधिसूचित इन्फ्रास्ट्रक्चर उप-क्षेत्रों की मास्टर सूची के अनुरूप किया जाए। 'इन्फ्रास्ट्रक्चर ऋण' की संशोधित परिभाषा 20 नवंबर 2012 से लागू होगी। उप क्षेत्रों के तहत आने वाले परियोजनाओं के लिए बैंकों का एक्सपोज़र जिन्हें इन्फ्रास्ट्रक्चर की विगत परिभाषा में शामिल किया गया था किंतु संशोधित परिभाषा में शामिल नहीं किया गया है, को परियोजनाओं के समाप्त होने तक ऐसे एक्सपोज़रों के लिए 'इन्फ्रास्ट्रक्चर ऋण' के तहत लाभ मिलना जारी रहेगा। तथापि, उन उप-क्षेत्रों को 20 नवंबर 2012 से दी जाने वाली किसी भी नए उधार को 'इन्फ्रास्ट्रक्चर ऋण' के रूप में नहीं माना जाएगा। 'इन्फ्रास्ट्रक्चर ऋण' की संशोधित परिभाषा के लिए कृपया पृष्ठ 2 पर दिया गया बॉक्स देखें.

आरक्षित नकदी निधि अनुपात घटाया गया

3 नवंबर 2012 को आरंभ होने वाले पखवाड़े से अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के आरक्षित नकदी निधि अनुपात को उनकी निवल मांग और मीयादी देयताओं के 4.50 प्रतिशत से 25 आधार अंक घटाकर 4.25 प्रतिशत कर दिया गया है।

अनर्जक आस्तियाँ और अग्रिमों की पुनर्संरचना

रिज़र्व बैंक ने बैंकों को सूचित किया है कि -

- ऋण, डेरिवेटिवज और अरक्षित (अनहेज्ड) विदेशी मुद्रा एक्पोजर के संबंध में अपने बीच जानकारी बाँटने संबंधी अनुदेशों का सख्ती से अनुपालन करना चाहिए और दिसंबर 2012 के अंत तक सूचना सहभागिता के लिए एक प्रभावी व्यवस्था तैयार करनी चाहिए।

विषय सूची

	पृष्ठ
नीति	
प्रशासनिक/नियंत्रण कार्यालय खोलना	1
पट्टा/किराएदारी आधार पर लिए गए आवास का अधिग्रहण	1
इन्फ्रास्ट्रक्चर ऋण की परिभाष	1
आरक्षित नकदी निधि अनुपात घटाया गया	1
अनर्जक आस्तियाँ और अग्रिमों की पुनर्संरचना	1
स्वर्ण क्रय के लिए बैंक वित्त	2
चलनिधि जोखिम प्रबंधन	2
इन्फ्रास्ट्रक्चर ऋण के लिए उप-क्षेत्रों की सूची	2
अरक्षित विदेशी मुद्रा एक्सपोज़र की निगरानी	3
धोखाधड़ियाँ - वर्गीकरण तथा रिपोर्टिंग	3
शाखा बैंकिंग	
कृषि ऋण के अंतिम उपयोग पर निगरानी	3
शिक्षा ऋण योजना	3
भुगतान प्रणाली	
राष्ट्रीय/क्षेत्रीय इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन सेवा	3
फेमा	
भारतीय लघु औद्योगिक विकास बैंक द्वारा बाह्य वाणिज्यिक उधार	4
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	
बैंक सुविधा रहित ग्रामीण केंद्रों में शाखाएं खोलना	4
वर्ष 2012-13 के लिए मौद्रिक नीति की दूसरी तिमाही समीक्षा	4

- 1 जनवरी 2012 से नए / वर्तमान उधारकर्ताओं को नए ऋण / अस्थायी ऋण / ऋणों के नवीकरण की कोई भी मंजूरी आवश्यक सूचना प्राप्त करने / उनके बीच बाँटने के बाद ही की जानी चाहिए।
- इन अनुदेशों का पालन न करने पर रिज़र्व बैंक इससे सख्ती से पेश आएगा और जहाँ आवश्यक हो दण्ड लगाने सहित बैंकों पर कार्रवाई की जाएगी।

स्वर्ण क्रय के लिए बैंक वित्त

रिज़र्व बैंक ने बैंकों को सूचित किया है कि वे प्राथमिक स्वर्ण, स्वर्ण बुलियन, स्वर्ण आभूषण, स्वर्ण के सिक्के, स्वर्ण एक्सचेंड ट्रेडेड निधियों की इकाईयाँ तथा स्वर्ण म्युच्यूअल फण्डों के यूनिट सहित किसी भी रूप में स्वर्ण की खरीद के लिए कोई अग्रिम न दें। तथापि, बैंक जौहरियों / स्वर्णकारों को उनकी वास्तविक कार्यशील पूँजी आवश्यकताओं के लिए वित्त मुहैया करा सकते हैं। रिज़र्व बैंक की समय-समय पर यथा संशोधित 31 दिसंबर 1998 के परिपत्र में दी गई विस्तृत स्वर्ण (धातु) ऋण योजना लागू रहेगी।

चलनिधि जोखिम प्रबंधन

बैंकिंग पर्यवेक्षण बासेल समिति द्वारा क्रमशः सितंबर 2008 और दिसंबर 2010 में प्रकाशित 'सुदृढ़ चलनिधि जोखिम प्रबंधन एवं पर्यवेक्षण सिद्धांत और बासेल III: अंतरराष्ट्रीय चलनिधि जोखिम मापन, मानक तथा निगरानी ढाँचा' दस्तावेजों के आधार पर रिज़र्व बैंक ने टिप्पणियों तथा फिड-बैक के लिए फरवरी 2012 में अपनी वेबसाईट पर चलनिधि जोखिम प्रबंधन और चलनिधि मानक संबंधी बासेल III ढाँचे पर दिशानिर्देशों का प्रारूप रखा था।

प्राप्त टिप्पणियों और फिड-बैक को ध्यान में रखते हुए चलनिधि जोखिम प्रबंधन पर दिशानिर्देशों को अंतिम रूप दिया गया है और रिज़र्व बैंक की वेबसाईट पर रखा गया है। दिशानिर्देशों में चलनिधि जोखिम प्रबंधन के संबंध में विभिन्न अनुदेश / निर्देश शामिल हैं जिन्हें रिज़र्व बैंक ने विगत वर्षों में समय-समय पर जारी किया है और जहाँ आवश्यक हो बीसीबीएस के 'सुदृढ़ चलनिधि जोखिम प्रबंधन और पर्यवेक्षण के सिद्धांतों' के अनुरूप इन अनुदेशों / निर्देशों को समन्वित किया है। इनमें चलनिधि जोखिम नियंत्रण के संबंध में अतिरिक्त दिशानिर्देश, मापन, निगरानी और चलनिधि स्थितियों के संबंध में रिज़र्व बैंक को की गई रिपोर्टिंग शामिल है। बैंकों को सलाह दी गई है कि वे तत्काल अतिरिक्त चलनिधि जोखिम प्रबंधन उपायों को लागू करें।

रिज़र्वबैंक ने यह भी सूचित किया है कि बासेल III चलनिधि मानक वर्तमान में बीसीबीएस द्वारा अवलोकन अवधि / संशोधन के अधीन हैं, ये किसी भी अनभिप्रेत परिणामों का समाधान करने की दृष्टि से किया गया है कि मानक वित्तीय बाजार, ऋण विस्तार और आर्थिक विकास के लिए हो सकते हैं। इसलिए बासेल III चलनिधि ढाँचे के संबंध में अंतिम दिशानिर्देश बीसीबीएस द्वारा ढाँचे में संशोधन करने के बाद जारी किए जाएंगे।

इन्फ्रास्ट्रक्चर ऋण के लिए उप-क्षेत्रों की सूची

परिभाषा

उधारदाताओं (अर्थात् बैंकों तथा चयनित एआईएफआई) द्वारा किसी उधारकर्ता को निम्नलिखित इन्फ्रास्ट्रक्चर उप-क्षेत्रों में एक्सपोज़र के लिए दी गई ऋण सुविधा 'इन्फ्रास्ट्रक्चर ऋण' के रूप में मान्य होगी :

श्रेणी	इन्फ्रास्ट्रक्चर उप-क्षेत्र
परिवहन	(i) सड़क और पुल
	(ii) बंदरगाह
	(iii) अंतर्देशीय जल मार्ग
	(iv) हवाई अड्डा
	(v) रेल ट्रैक, सुरंग, सेतु, पुल*1
	(vi) शहरी सार्वजनिक परिवहन (शहरी सड़क परिवहन के मामले में रोलिंग स्टॉक को छोड़कर)
ऊर्जा	(i) विद्युत उत्पादन
	(ii) विद्युत पारेषण
	(iii) विद्युत वितरण
	(iv) तेल पाइपलाइन
	(v) तेल / गैस / तरल प्राकृतिक गैस (एलएनजी) की भंडारण सुविधा*2
	(vi) गैस पाइपलाइन*3
जल और सफाई व्यवस्था	(i) ठोस अपशिष्ट प्रबंधन
	(ii) जल आपूर्ति पाइपलाइन
	(iii) जल उपचार संयंत्र
	(iv) मल संग्रहण, उपचार और निपटान प्रणाली
	(v) सिंचाई (बांध, नहर,तटबंधन आदि)
	(vi) चक्रवात जल निकासी व्यवस्था
संचार	(i) दूरसंचार (स्थाई नेटवर्क)*4
	(ii) दूरसंचार टॉवर
सामाजिक और व्यावसायिक मूलभूत सुविधा	(i) शैक्षणिक संस्थान (पूँजी स्टॉक)
	(ii) अस्पताल (पूँजी स्टॉक)*5
	(iii) 10 लाख या उससे अधिक आबादी वाले शहरों से बाहर स्थित तीन-सितारा या इससे उच्च श्रेणी में वर्गीकृत होटल
	(iv) औद्योगिक उद्यानों, एसईजेड, पर्यटन सुविधाओं और कृषि बाजारों के लिए सामान्य मूलभूत सुविधा
	(v) उर्वरक (पूँजी निवेश)
	(vi) कोल्ड स्टोरेज सहित कृषि और बागबानी उत्पाद के लिए फसल कटाई के बाद भंडारण की मूलभूत सुविधा
	(vii) टर्मिनल बाजार
	(viii) मृदा-परीक्षण प्रयोगशालाएं
	(ix) कोल्ड चेन*6

*1. माल चढ़ाने / उतारने के टर्मिनल, स्टेशन, और भवन जैसे सहायक टर्मिनल इन्फ्रास्ट्रक्चर में शामिल हैं

*2. कच्चे तेल का सामरिक भंडारण शामिल है

*3. नगर गैस वितरण नेटवर्क शामिल है

*4. ऑप्टिक फाइबर / केबल नेटवर्क जो ब्रॉड बैण्ड / इंटरनेट उपलब्ध कराते हैं इसमें शामिल हैं

*5. आयुर्विज्ञान महाविद्यालय, पराचिकित्सा प्रशिक्षण संस्थान और चिकित्सा केंद्र शामिल हैं

*6. खेत स्तर पर प्री-कूलिंग के लिए, कृषि एवं संबद्ध उत्पाद, समुद्री उत्पाद और मांस के संरक्षण और भंडारण के लिए शीत गृह सुविधा शामिल हैं

कंपनियों के अरक्षित विदेशी मुद्रा एक्सपोज़र पर निगरानी

कंपनियों का अरक्षित विदेशी मुद्रा एक्सपोज़र कंपनियों तथा वित्तीय बैंकों और वित्तीय प्रणाली के लिए जोखिम का स्रोत है। अधिक अरक्षित विदेशी मुद्रा एक्सपोज़र का परिणाम उन खातों के रूप में हुआ है जो कुछ मामलों में एनपीए बन गए हैं। इसलिए फरवरी 2012 में बैंकों को सलाह दी गई थी कि कंपनियों के अरक्षित विदेशी मुद्रा एक्सपोज़र से पैदा होने वाले जोखिमों का सख्ती से मूल्यांकन करें तथा निधि आधारित और गैर-निधि आधारित ऋण सुविधाएं देते समयऋण जोखिम प्रीमियम में उनका मूल्य निर्धारण करें। इसके अतिरिक्त बैंकों को यह भी सलाह दी गई थी कि वे अपनेबोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति के आधार पर कंपनियों की अरक्षित स्थिति पर एक सीमा निर्धारित करने पर विचार करें। इन अनुदेशों के बावजूद यह देखा गया है कि अरक्षित विदेशी मुद्रा एक्सपोज़र के जोखिमों का सख्ती से मूल्यांकन नहीं किया जा रहा है और बैंकों द्वारा ऋण के मूल्य निर्धारण बढ़ जाता है। इसलिए बैंकों को सलाह दी गई कि फरवरी 2012 के दिशानिर्देशों के अनुसार, वे कंपनियों के अरक्षित विदेशी मुद्रा एक्सपोज़र से होने वाले जोखिमों का सख्ती से मूल्यांकन करने के लिए एक उचित व्यवस्थाकरें और ऋण जोखिम प्रीमियम में उनका मूल्य निर्धारित करें। उन्हें अपने बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति के आधार पर कंपनियों की अरक्षित स्थिति पर एक सीमा निर्धारित करने पर भी विचार करना चाहिए। बैंकों को अपने बोर्ड का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात् दिसंबर 2012 के समाप्त होने से पहले रिज़र्व बैंक को अनुपालन / की गई कार्रवाई रिपोर्टें प्रस्तुत करनी चाहिए।

धोखाधड़ियाँ - वर्गीकरण तथा रिपोर्टिंग

समीक्षा करने पर तथा प्रक्रिया और कार्यप्रणालियों को युक्तिसंगत बनाने के एक भाग के रूप में यह निर्णय लिया गया कि बैंकों द्वारा 10 मिलियन तथा उससे अधिक राशि के प्रयास किए धोखाधड़ी के मामलों की सूचना रिज़र्व बैंक के धोखाधड़ी निगरानी कक्ष, बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग को देने की प्रथा 15 नवंबर 2012 से बंद कर दी जाए।

हालांकि, बैंकों को 10 मिलियन और उससे अधिक राशि के व्यक्तिगत मामलों को पहले की तरह ही अपने बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति के समक्ष प्रस्तुत करना जारी रखना चाहिए। बोर्ड की लेखा-परीक्षा समिति के समक्ष रखे जाने वाली धोखाधड़ी के प्रयासों की रिपोर्ट में निम्नलिखित को समाविष्ट किया जाना चाहिए:

- प्रयास की गई धोखाधड़ी की कार्यप्रणाली
- कैसे वह प्रयास धोखाधड़ी में बदल नहीं गया या कैसे वह प्रयास असफल हुआ/विफल किया गया।
- बैंक द्वारा वर्तमान प्रणाली और नियंत्रण को मज़बूत बनाने के लिए किया गया प्रयास।
- जहाँ धोखाधड़ी का प्रयास किया गया उस क्षेत्र में लागू की गई नई प्रणालियाँ व नियंत्रण।
- वर्ष के दौरान पता लगाए ऐसे मामलों की वार्षिक समेकित समीक्षा जिसमें प्रचालनों के ऐसे क्षेत्र की जानकारी जहाँ ऐसे प्रयास किए गए, वर्ष के दौरान नए प्रक्रिया तथा कार्यप्रणालियों की प्रभावकारिता, पिछले तीन वर्षों के दौरान ऐसे मामलों की प्रवृत्ति, प्रक्रिया तथा कार्यप्रणालियों में आगे और बदलाव की आवश्यकता की जानकारी, यदि कोई है, इत्यादि 31 मार्च को हर वर्ष, वर्ष से शुरू करते हुए 31 मार्च 2013 को समाप्त वर्ष पर, संबंधित वर्ष की समाप्ति के तीन माह के भीतर की जाए।

शाखा बैंकिंग

कृषि ऋण के अंतिम उपयोग पर निगरानी

बैंकों को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि वे ब्याज छूट का दावा करने वाले सभी फसल ऋणों के बारे में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित मानदण्डों को पूरा करते है:

- उधारकर्ता एक खेतीहर (किसान) है।
- लागू ब्याज दर भारत सरकार द्वारा निर्धारित दर से अधिक नहीं है।
- ऋण की राशि कृषि ऋणों के लिए वित्त की निर्धारित मात्रा के अनुसार तय की गई है और ऋण का प्रयोग उल्लिखित प्रयोजन के लिए किया गया है।
- संवितरण और वसूली दोनों के लिए मौसम का ध्यान रखा गया है।

बैंकों को सूचित किया गया कि वे मंजूरी-पूर्व संवीक्षा और संवितरण के बाद पर्यवेक्षण के लिए अपनी प्रणालियों को मज़बूत बनाए और संवितरण के बाद लेखा परीक्षा करने पर भी विचार करें ताकि यह सुश्चित किया जा सके कि सभी कृषि ऋण जिस पर ब्याज छूट का दावा किया जा रहा है का प्रयोग उल्लिखित प्रयोजन के लिया किया जा रहा है और निधियों का कोई गलत प्रयोग नहीं किया जा रहा है।

रिज़र्व बैंक के ध्यान में यह आया है कि विभिन्न क्षेत्रों में बैंक कृषि ऋण के रूप में वितरित की गई अंतिम उपयोग निधियों को सुनिश्चित करने में स्पष्ट रूप से विफल हो गए हैं। इसके परिणामस्वरूप, भारत सरकार द्वारा छोटे और सीमांत किसानों की सहायता के इरादे से वहन किया गया व्यय एक महत्वपूर्ण सीमा तक अभिप्रेत लाभार्थियों तक नहीं पहुँचा है। कुछ रिपोर्टें आई हैं कि इन कृषि ऋणों के उधारकर्ताओं ने निधियों को दूसरी दिशा में मोड़ दिया है और कुछ सीमा तक उपलब्ध सबवेंशन के कारण न्यून ब्याज दर पर उधार लेकर मध्यस्थता अवसर के रूप में योजना का उपयोग कर रहे हैं और उन्हें मीयादी जमा और / अथवा उच्च ब्याज दरों के अन्य निवेश अवसरों में निवेश कर रहे हैं।

शिक्षा ऋण योजना

रिज़र्व बैंक ने बैंकों को सूचित किया है कि किसी शिक्षा ऋण के आवेदन को यह कारण देकर रद्द न करें कि उधारकर्ता का आवास बैंक के सेवा क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है। बैंकों को यह भी सूचित किया गया है कि वे इस संबंध में सावधानीपूर्वक और सख्त अनुपालन के लिए अपनी शाखाओं / नियंत्रण कार्यालयों को उचित अनुदेश जारी करें।

बैंकों को यह भी सूचित किया गया है कि सेवा क्षेत्र मानदण्डों का अनुपालन 8 दिसंबर 2004 के रिज़र्व बैंक के परिपत्र में सूचित किए गए अनुसार केवल सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं के लिए ही किया जाना चाहिए और यह शिक्षा ऋणों की मंजूरी के लिए लागू नहीं है।

भुगतान प्रणाली

राष्ट्रीय/क्षेत्रीय इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन सेवा

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकों को सूचित किया है कि वे आरईसीएस और एनईसीएस के अंतर्गत अधिक शाखाओं को शामिल करना सुनिश्चित करें। सभी बैंक शाखाओं के ग्राहकों के लिए दोनों राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन सेवा (एनईसीएस) और राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन सेवा (आरईसीएस) सुविधा का विस्तार करने की दृष्टि से रिज़र्व बैंक ने सहभागी बैंकों को एनईसीएस/आरईसीएस के अंतर्गत अपनी सभी शाखाओं को लाने का प्रयास करने की सलाह दी है। जो शाखाएं कोर बैंकिंग सोल्यूशन (सीबीएस) पर हैं और पहले से ही राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण (एनईएफटी) में भाग ले रही हैं, उनका कार्य प्राथमिक आधार पर किया जाना चाहिए।

प्रत्येक माह की 26 तारीख को प्रकाशित, प्रत्येक माह के अंतिम दो कार्यदिवसों में मुंबई पत्रिका चैनल, सॉर्टिंग ऑफिस-जीपीओ में प्रेषित **Regd. No. MH/MR/South-29/2012-14**

एनईसीएस की शुरुआत रिज़र्व बैंक द्वारा सितंबर 2008 में की गई थी जिससे कि पैन इंडिया आधार पर इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन सेवा (ईसीएस) की सुविधा का विस्तार किया जा सके। यह अपेक्षा थी कि बैंक अपनी सभी सीबीएस समर्थित शाखाओं को धीरे-धीरे एनईसीएस के अंतर्गत ले आएंगे और इस प्रकार अपने सभी ग्राहकों को ईसीएस के लाभ प्रदान करेंगे। तत्पश्चात् आरईसीएस को भी कुछ राज्यों में शुरू किया गया जिससे कि एक केंद्रीकृत स्थान से राज्य / राज्यों के समूह में स्थित सभी शाखाओं में ईसीएस भुगतान / प्राप्तियाँ की जा सकें।

फेमा

भारतीय लघु औद्योगिक विकास बैंक द्वारा बाह्य वाणिज्यिक उधार

मौजूदा बाह्य वाणिज्यिक उधार (ईसीबी) नीति की समीक्षा करने पर यह निर्णय लिया गया है कि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास (एमएसएमईडी) अधिनियम, 2006 में यथा परिभाषित सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) क्षेत्र को और आगे उधार देने के लिए बाह्य वाणिज्यिक उधार सुविधा लेने हेतु एक पात्र उधारदाता के रूप में भारतीय लघु औद्योगिक विकास बैंक (सिडबी) को निम्नलिखित शर्तों के तहत शामिल किया जाए :)

(ए) सिडबी द्वारा ऐसे आगे उधार देना, उधारकर्ताओं को सीधे, या तो भारतीय रुपए में अथवा विदेशी मुद्रा में किए जाएंगे :

(i) भारतीय रुपए में एमएसएमई क्षेत्र को आगे उधार दिए जाने के मामलों में सिडबी द्वारा विदेशी मुद्रा जोखिम पूर्णत: रक्षित (हेजड) होगी; और

(ii) विदेशी मुद्रा में आगे उधार देना, समय-समय पर यथासंशोधित, 3 मई 2000 की अधिसूचना सं. फेमा.3/2000-आरबी के विनियम 5(5) के अधीन होगा और यह केवल उन लाभार्थियों के लिए होगा, जिन्हें विदेशी मुद्रा अर्जन के रूप में स्वाभाविक हेज की सुविधा उपलब्ध होती है;

(बी) एमएसएमई क्षेत्र को आगे उधार देने के लिए बकाया ईसीबी सहित ईसीबी प्राप्त करने के लिए प्रति वित्तीय वर्ष 500 मिलियन अमरीकी डॉलर की उच्चतम सीमा के अधीन अपनी स्वाधिकृत निधियों के 50 प्रतिशत तक स्वचालित मार्ग के अंतर्गत और स्वाधिकृत निधियों के 50 प्रतिशत से अधिक की सुविधा 'अनुमोदन मार्ग' के अंतर्गत ली जा सकती है।

(सी) सिडबी द्वारा लिए गए बाह्य वाणिज्यिक उधार की आगम राशि एमएसएमई क्षेत्र को आगे उधार देने के लिए उपयोग में लाई जा सकेगी जिसका अंतिम उपयोग केवल उन कार्यों के लिए किया जा सकेगा जो मौजूदा बाह्य वाणिज्यिक उधार नीति के अंतर्गत अनुमत है।

बाह्य वाणिज्यिक उधार की अन्य सभी शर्तें यथा मान्यता प्राप्त उधारदाता, संपूर्ण लागत, औसत परिपक्वता, अवधिपूर्व भुगतान, मौजूदा बाह्य वाणिज्यिक उधार का पुनर्वित्तपोषण, रिपोर्टिंग व्यवस्था यथावत बनी रहेंगी।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

बैंक सुविधा रहित ग्रामीण केंद्रों में शाखाएं खोलना

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को सूचित किया गया कि वे वर्ष के दौरान खोले जाने के लिए प्रस्तावित कुल शाखाओं में से 25 प्रतिशत बैंक सुविधा रहित ग्रामीण केंद्रों (टीयर 5 से टीयर 6 तक) को आवंटित करें। बैंक सुविधा रहित ग्रामीण केंद्र का अर्थ है एक ऐसा ग्रामीण केंद्र (टीयर 5 और टीयर 6) जिसके पास ग्राहक आधारित बैंकिंग लेनेदेन करने के लिए किसी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक का कोई ईमारती स्थान नहीं है।

वर्ष 2012-13 के लिए मौद्रिक नीति की दूसरी तिमाही समीक्षा

डॉ. डी.सुब्बाराव, गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक ने प्रमुख वाणिज्यिक बैंकों के मुख्य कार्यपालकों के साथ एक बैठक में 30 अक्टूबर 2012 को वर्ष 2012-13 के लिए मौद्रिक नीति की दूसरी तिमाही समीक्षा प्रस्तुत की। समीक्षा की मुख्य-मुख्य बातें इस प्रकार हैं:

अनुमान

- वर्ष 2012-13 के लिए सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि का संशोधित बेसलाइन अनुमान 6.5 प्रतिशत से नीचे लाते हुए 5.8 प्रतिशत किया गया है।
- मार्च2013 के लिए मुद्रास्फीति को बढ़ाकर 7.5 प्रतिशत किया गया है।
- वर्ष 2012-13 के लिए एम3 वृद्धि का अनुमान 14 प्रतिशत रखा गया है।

रूझान

- अर्थव्यवस्था के उत्पाक क्षेत्रों को पर्याप्त ऋण प्रवाह सुनिश्चित करने के लिए चलनिधि का प्रबंध करना।
- जैसे ही मुद्रास्फीति जोखिम कम होता है वृद्धि पर सरकारी नीति कार्रवाइयों के अनुकूल प्रभाव को मजबूत करना।
- मुद्रास्फीति को नियंत्रित रखने के लिए ब्याज दर परिवेश को बनाए रखना और मुद्रास्फीति अपेक्षाओं पर अंकुश रखना।

मौद्रिक उपाय

- बैंक दर 9.0 प्रतिशत रखा गया।
- अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर) उनकी निवल माँग और मीयादी देयताओं (एनडीटीएल) के 4.50 प्रतिशत से 25 आधार अंक घटाकर 4.25 प्रतिशत किया गया।
- चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ)के अंतर्गत रिपो दर 8.0 प्रतिशत रखी गई।
- चलनिधि समायोजन सुविधा के अंतर्गत रिपो दर से कम 100 आधार अंकों के अंतर पर निर्धारित प्रत्यावर्तनीय रिपो दर 7.0 प्रतिशत रखी गई।
- सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ) दर जो रिपो दर से अधिक 100 आधार अंकों के अंतर पर है, वह 9.0 प्रतिशत रखी गई।

अपेक्षित परिणाम

नीति कार्रवाइयों और मार्गदर्शन से यह अपेक्षा है कि:

- उत्पादक क्षेत्रों को ऋण वृद्धि में बढ़ावा देने की सुविधा देना ताकि विकास को सहायता दी जा सके।
- सरकार द्वारा घोषित नीति कार्रवाइयों के विकास प्रोत्साहन को पुन: लागू करना।
- निम्न और स्थायी मुद्रास्फीति की योग्य प्रतिबद्धताओं के आधार पर मध्यम-अवधि मुद्रास्फीति प्रत्याशाओं को नियंत्रित रखना।

अल्पना किल्लावाला द्वारा **भारतीय रिज़र्व बैंक, संचार विभाग**, केंद्रीय कार्यालय, शहीद भगतसिंह मार्ग, मुंबई 400 001 के लिए संपादित और प्रकाशित तथा **ऑनलुकर प्रेस,** 16, ससून डॉक, कुलाबा, मुंबई - 400 005 में मुद्रित।

ग्राहक नवीकरण तथा पते में परिवर्तन के लिए मुख्य महाप्रबंधक, संचार विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, केंद्रीय कार्यालय भवन, 12वीं मंज़िल, फोर्ट, मुंबई 400 001 को लिखें। कृपया कोई मांग ड्राफ्ट/चेक न भेजें। मोनेटरी एण्ड क्रेडिट इन्फ़र्मेशन रिव्यू इंटरनेट www.mcir.rbi.org.in/hindi पर भी उपलब्ध है।